

ई-दाखलि पोर्टल

स्रोत: पी.आई.बी

उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा संपूर्ण देश में आरंभ किया गया **ई-दाखलि पोर्टल** अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ **नवंबर 2024** में **लद्दाख** में हुआ।

- **परिचय:** ई-दाखलि पोर्टल को **7 सितंबर 2020** को **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद नविवरण आयोग** द्वारा **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत COVID-19 महामारी के बीच लॉन्च किया गया था।
- **वैशिष्ट्य:**
 - यह उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक **सस्ता, त्वरित और परेशानी मुक्त तंत्र** प्रदान करता है।
 - यह उपभोक्ताओं को घर बैठे शिकायत दर्ज करने, शुल्क का भुगतान करने और मामलों को ट्रैक करने की सुविधा देता है। मोबाइल फोन या ईमेल पते पर **ओटीपी** के माध्यम से पंजीकरण आसान है।
- **उपयोग और प्रभाव:**
 - पोर्टल पर **281,024** से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, **198,725 मामले दर्ज किये गए हैं** जबकि इनमें से **38,453 का समाधान** किया गया है, जिसमें **दोषपूर्ण उत्पाद मुआवज़ा** और वित्तीय शिकायतों जैसे मुद्दों का समाधान किया गया है।
 - **ई-दाखलि के साथ एकीकरण:** सरकार **ई-जागृता** भी वकिसति कर रही है, जो मामला दर्ज करने और समाधान को बढ़ाने के लिए एक मंच है, जिसका उद्देश्य भारत में उपभोक्ता न्याय में बदलाव लाना है।

और पढ़ें: [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-daakhil-portal>